

—स्टाम्प ड्यूटी, सरचार्ज एवं पंजीयन शुल्क व अन्य की गणना—

1. इन्दिरा आवास योजना और मुख्यमंत्री ग्रामीण बी.पी.एल. आवास योजना के अधीन आवंटित आवासीय स्थल का पट्टा विलेख :-

क्र.सं.	ड्यूटी/शुल्क	दर	ड्यूटी जो देय है
1	स्टाम्प ड्यूटी (SD)	पूर्णतय छूट	0
2	सरचार्ज (SC)		
2.1	आधारभूत अवसंरचना	स्टाम्प ड्यूटी x 10%	0
2.2	गौवंश	स्टाम्प ड्यूटी x 10%	0
2.3	प्राकृतिक एवं मानव निर्मित आपदाओं के निवारण	स्टाम्प ड्यूटी x 10%	0
3	पंजीयन शुल्क		100
4	CSI	200	200
5	योग		300 /—

2. राजस्थान पंचायत राज नियम, 1996 के नियम 157 या 158 के अधीन ग्राम पंचायत द्वारा जारी पट्टा विलेख या आवंटन आदेश :-

क्र.सं.	ड्यूटी/शुल्क	दर	ड्यूटी जो देय है
1	स्टाम्प ड्यूटी (SD)	100 /—	100 /—
2	सरचार्ज (SC)		
2.1	आधारभूत अवसंरचना	स्टाम्प ड्यूटी x 10%	10 /—
2.2	गौवंश	स्टाम्प ड्यूटी x 10%	10 /—
2.3	प्राकृतिक एवं मानव निर्मित आपदाओं के निवारण	स्टाम्प ड्यूटी x 10%	10 /—
3	पंजीयन शुल्क		300
4	CSI	200	200
5	योग		630 /—

- 2.1 यदि पट्टा विलेख 8 माह पश्चात पुनः नवीनीकरण कर पंजीयन हेतु प्रस्तुत होने पर

क्र.सं.	ड्यूटी/शुल्क	दर	ड्यूटी जो देय है
1	स्टाम्प ड्यूटी (SD)	120 /—	120 /—
2	सरचार्ज (SC)		
2.1	आधारभूत अवसंरचना	स्टाम्प ड्यूटी x 10%	12 /—
2.2	गौवंश	स्टाम्प ड्यूटी x 10%	12 /—
2.3	प्राकृतिक एवं मानव निर्मित आपदाओं के निवारण	स्टाम्प ड्यूटी x 10%	12 /—
3	पंजीयन शुल्क		300
4	CSI	200	200
5	योग		656 /—

3. राजस्थान सरकारी अनुदान अधिनियम, 1961 के अधीन जारी पट्टा विलेख या आवंटन आदेश :-

क्र.सं.	ड्यूटी/शुल्क	दर	ड्यूटी जो देय है
1	स्टाम्प ड्यूटी (SD)	100 / -	100 / -
2	सरचार्ज (SC)		
2.1	आधारभूत अवसंरचना	स्टाम्प ड्यूटी x 10%	10 / -
2.2	गौवंश	स्टाम्प ड्यूटी x 10%	10 / -
2.3	प्राकृतिक एवं मानव निर्मित आपदाओं के निवारण	स्टाम्प ड्यूटी x 10%	10 / -
3	पंजीयन शुल्क		300
4	CSI	200	200
5	योग		630 / -

3.1 यदि पट्टा विलेख 8 माह पश्चात पुनः नवीनीकरण कर पंजीयन हेतु प्रस्तुत होने पर

क्र.सं.	ड्यूटी/शुल्क	दर	ड्यूटी जो देय है
1	स्टाम्प ड्यूटी (SD)	120 / -	120 / -
2	सरचार्ज (SC)		
2.1	आधारभूत अवसंरचना	स्टाम्प ड्यूटी x 10%	12 / -
2.2	गौवंश	स्टाम्प ड्यूटी x 10%	12 / -
2.3	प्राकृतिक एवं मानव निर्मित आपदाओं के निवारण	स्टाम्प ड्यूटी x 10%	12 / -
3	पंजीयन शुल्क		300
4	CSI	200	200
5	योग		656 / -

4. राजस्थान स्लम डवलपमेंट पॉलिसी-2012 के अधीन जारी पट्टा विलेख या आवंटन आदेश (कच्ची बस्ती) :-

क्र.सं.	ड्यूटी/शुल्क	दर	ड्यूटी जो देय है
1.	स्टाम्प ड्यूटी (SD)	100 / -	100 / -
2.	सरचार्ज (SC)		
2.1	आधारभूत अवसंरचना	स्टाम्प ड्यूटी x 10%	10 / -
2.2	गौवंश	स्टाम्प ड्यूटी x 10%	10 / -
2.3	प्राकृतिक एवं मानव निर्मित आपदाओं के निवारण	स्टाम्प ड्यूटी x 10%	10 / -
3	पंजीयन शुल्क		300
4	CSI	200	200
5	योग		630 / -

4.1 यदि पट्टा विलेख 8 माह पश्चात पुनः नवीनीकरण कर पंजीयन हेतु प्रस्तुत होने पर-

क्र.सं.	ड्यूटी/शुल्क	दर	ड्यूटी जो देय है
1.	स्टाम्प ड्यूटी (SD)	120/-	120/-
2.	सरचार्ज (SC)		
2.1	आधारभूत अवसंरचना	स्टाम्प ड्यूटी x 10%	12/-
2.2	गौवंश	स्टाम्प ड्यूटी x 10%	12/-
2.3	प्राकृतिक एवं मानव निर्मित आपदाओं के निवारण	स्टाम्प ड्यूटी x 10%	12/-
3	पंजीयन शुल्क		300
4	CSI	200	200
5	योग		656/-

5. मुख्यमंत्री जन आवास योजना-2015 या प्रधानमंत्री आवास योजना के अधीन जारी पट्टा विलेख :-

5.1 आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आवासीय इकाइयां

क्र.सं.	ड्यूटी/शुल्क	दर
1.	स्टाम्प ड्यूटी (SD)	प्रतिफल राशि x 0.5%
2.	सरचार्ज (SC)	
2.1	आधारभूत अवसंरचना	स्टाम्प ड्यूटी x 10%
2.2	गौवंश	स्टाम्प ड्यूटी x 10%
2.3	प्राकृतिक एवं मानव निर्मित आपदाओं के निवारण	स्टाम्प ड्यूटी x 10%
3	पंजीयन शुल्क	प्रतिफल राशि x 1%
4	CSI	300

5.1.1 यदि पट्टा विलेख 8 माह पश्चात पुनः नवीनीकरण कर पंजीयन हेतु प्रस्तुत होने पर-

क्र. सं.	ड्यूटी/शुल्क	दर
1.	स्टाम्प ड्यूटी (SD)	(प्रतिफल राशि + प्रतिफल राशि x 20%) x 0.5%
2.	सरचार्ज (SC)	
2.1	आधारभूत अवसंरचना	स्टाम्प ड्यूटी x 10%
2.2	गौवंश	स्टाम्प ड्यूटी x 10%
2.3	प्राकृतिक एवं मानव निर्मित आपदाओं के निवारण	स्टाम्प ड्यूटी x 10%
3	पंजीयन शुल्क	(प्रतिफल राशि + प्रतिफल राशि x 20%) x 1%
4	CSI	300

## 5.2 निम्न आय समूह के लिए आवासीय इकाइयां –

क्र.सं.	इयूटी/शुल्क	दर
1.	स्टाम्प इयूटी (SD)	प्रतिफल राशि x 1%
2.	सरचार्ज (SC)	
2.1	आधारभूत अवसंरचना	स्टाम्प इयूटी x 10%
2.2	गौवंश	स्टाम्प इयूटी x 10%
2.3	प्राकृतिक एवं मानव निर्मित आपदाओं के निवारण	स्टाम्प इयूटी x 10%
3	पंजीयन शुल्क	प्रतिफल राशि x 1%
4	CSI	300

5.2.1 यदि पट्टा विलेख 8 माह पश्चात पुनः नवीनीकरण कर पंजीयन हेतु प्रस्तुत होने पर—

क्र.सं.	इयूटी/शुल्क	दर
1.	स्टाम्प इयूटी (SD)	(प्रतिफल राशि + प्रतिफल राशि x 20%) x 1%
2.	सरचार्ज (SC)	
2.1	आधारभूत अवसंरचना	स्टाम्प इयूटी x 10%
2.2	गौवंश	स्टाम्प इयूटी x 10%
2.3	प्राकृतिक एवं मानव निर्मित आपदाओं के निवारण	स्टाम्प इयूटी x 10%
3	पंजीयन शुल्क	(प्रतिफल राशि + प्रतिफल राशि x 20%) x 1%
4	CSI	300

## 6. राजस्थान टॉउनशिप पॉलिसी, 2010 के अन्तर्गत जारी पट्टा विलेख :-

6.1 आवासीय/संस्थानिक/औद्योगिक/पर्यटन इकाई के लिए भूखण्ड के प्रथम आवंटन के मामले:-

क्र.सं.	इयूटी/शुल्क	इयूटी जिस पर देय है	दर
1.	स्टाम्प इयूटी (SD)	आवासीय संपरिवर्तन प्रभार (Conversion Charges) x 4 = प्रतिफल राशि	प्रतिफल राशि x 6%*
2.	सरचार्ज (SC)	—	
2.1	आधारभूत अवसंरचना	—	स्टाम्प इयूटी x 10%
2.2	गौवंश	—	स्टाम्प इयूटी x 10%
2.3	प्राकृतिक एवं मानव निर्मित आपदाओं के निवारण	—	स्टाम्प इयूटी x 10%
3	पंजीयन शुल्क	—	प्रतिफल राशि x 1%
4	CSI	—	300

\* सामान्य 6%, SC/ST/BPL महिला के अलावा महिला 5%, SC/ST/BPL महिला 4% और दिव्यांग 5%

6.1.1 यदि पट्टा विलेख 8 माह पश्चात पुनः नवीनीकरण कर पंजीयन हेतु प्रस्तुत होने पर—

क्र.सं.	ड्यूटी/शुल्क	ड्यूटी जिस पर देय है	दर
1.	स्टाम्प ड्यूटी (SD)	आवासीय संपरिवर्तन प्रभार(Conversion Charges) x 4 = प्रतिफल राशि	(प्रतिफल राशि + प्रतिफल राशि x 20%) x 6%*
2.	सरचार्ज (SC)	—	
2.1	आधारभूत अवसंरचना	—	स्टाम्प ड्यूटी x 10%
2.2	गौवंश	—	स्टाम्प ड्यूटी x 10%
2.3	प्राकृतिक एवं मानव निर्मित आपदाओं के निवारण	—	स्टाम्प ड्यूटी x 10%
3	पंजीयन शुल्क	—	(प्रतिफल राशि + प्रतिफल राशि x 20%) x 1%
4	CSI	—	300

\* सामान्य 6%, SC/ST/BPL महिला के अलावा महिला 5%, SC/ST/BPL महिला 4% और दिव्यांग 5%

6.2 वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए भूखण्ड के प्रथम आवंटन के मामले:—

क्र.सं.	ड्यूटी/शुल्क	ड्यूटी जिस पर देय है	दर
1.	स्टाम्प ड्यूटी (SD)	आवासीय संपरिवर्तन प्रभार(Conversion Charges) x 8 = प्रतिफल राशि	प्रतिफल राशि x 6%*
2.	सरचार्ज (SC)	—	
2.1	आधारभूत अवसंरचना	—	स्टाम्प ड्यूटी x 10%
2.2	गौवंश	—	स्टाम्प ड्यूटी x 10%
2.3	प्राकृतिक एवं मानव निर्मित आपदाओं के निवारण	—	स्टाम्प ड्यूटी x 10%
3	पंजीयन शुल्क	—	प्रतिफल राशि x 1%
4	CSI	—	300

\* सामान्य 6%, SC/ST/BPL महिला के अलावा महिला 5%, SC/ST/BPL महिला 4% और दिव्यांग 5%

6.2.1 यदि पट्टा विलेख 8 माह पश्चात पुनः नवीनीकरण कर पंजीयन हेतु प्रस्तुत होने पर—

क्र.सं.	ड्यूटी/शुल्क	ड्यूटी जिस पर देय है	दर
1.	स्टाम्प ड्यूटी (SD)	आवासीय संपरिवर्तन प्रभार(Conversion Charges) x 8 = प्रतिफल राशि	(प्रतिफल राशि + प्रतिफल राशि x 20%) x 6%*
2.	सरचार्ज (SC)	—	
2.1	आधारभूत अवसंरचना	—	स्टाम्प ड्यूटी x 10%
2.2	गौवंश	—	स्टाम्प ड्यूटी x 10%
2.3	प्राकृतिक एवं मानव निर्मित आपदाओं के निवारण	—	स्टाम्प ड्यूटी x 10%
3	पंजीयन शुल्क	—	(प्रतिफल राशि+20%) x 1%
4	CSI	—	300

\* सामान्य 6%, SC/ST/BPL महिला के अलावा महिला 5%, SC/ST/BPL महिला 4% और दिव्यांग 5%

7. राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा-90क के अधीन जारी पट्टा विलेख :-

क्र.सं.	ड्यूटी/शुल्क	ड्यूटी जिस पर देय है	दर
1.	स्टाम्प ड्यूटी (SD)	प्रिमियम की रकम + विकास प्रभार + संपरिवर्तन प्रभार + ब्याज या शास्ति + अन्य प्रभार + 2 वर्ष के औसत किराये की रकम = प्रतिफल राशि	प्रतिफल राशि x 6%*
2.	सरचार्ज (SC)	—	
2.1	आधारभूत अवसंरचना	—	स्टाम्प ड्यूटी x 10%
2.2	गौवंश	—	स्टाम्प ड्यूटी x 10%
2.3	प्राकृतिक एवं मानव निर्मित आपदाओं के निवारण	—	स्टाम्प ड्यूटी x 10%
3	पंजीयन शुल्क	—	प्रतिफल राशि x 1%
4	CSI	—	300

\* सामान्य 6%, SC/ST/BPL महिला के अलावा महिला 5%, SC/ST/BPL महिला 4% और दिव्यांग 5%

7.1 यदि पट्टा विलेख 8 माह पश्चात पुनः नवीनीकरण कर पंजीयन हेतु प्रस्तुत होने पर-

क्र.सं.	ड्यूटी/शुल्क	ड्यूटी जिस पर देय है	दर
1.	स्टाम्प ड्यूटी (SD)	प्रिमियम की रकम + विकास प्रभार + संपरिवर्तन प्रभार + ब्याज या शास्ति + अन्य प्रभार + 2 वर्ष के औसत किराये की रकम = प्रतिफल राशि	(प्रतिफल राशि + प्रतिफल राशि x 20%) x 6%*
2.	सरचार्ज (SC)	-	
2.1	आधारभूत अवसंरचना	-	स्टाम्प ड्यूटी x 10%
2.2	गौवंश	-	स्टाम्प ड्यूटी x 10%
2.3	प्राकृतिक एवं मानव निर्मित आपदाओं के निवारण	-	स्टाम्प ड्यूटी x 10%
3	पंजीयन शुल्क	-	(प्रतिफल राशि + प्रतिफल राशि x 20%) x 1%
4	CSI	-	300

\* सामान्य 6%, SC/ST/BPL महिला के अलावा महिला 5%, SC/ST/BPL महिला 4% और दिव्यांग 5%

8. राजस्थान सरकार स्थानीय प्राधिकारी लोक उपक्रम या अन्य किसी सरकारी निकाय द्वारा आवंटित एवं विक्रित भूमि के लिए जारी पट्टा विलेख :-

क्र.सं.	ड्यूटी/शुल्क	ड्यूटी जिस पर देय है	दर
1.	स्टाम्प ड्यूटी (SD)	प्रिमियम की रकम+ ब्याज और शास्ति + अन्य प्रभार + 2 वर्ष के औसत किराये की रकम = प्रतिफल राशि	प्रतिफल राशि x 6%*
2.	सरचार्ज (SC)	-	
2.1	आधारभूत अवसंरचना	-	स्टाम्प ड्यूटी x 10%
2.2	गौवंश	-	स्टाम्प ड्यूटी x 10%
2.3	प्राकृतिक एवं मानव निर्मित आपदाओं के निवारण	-	स्टाम्प ड्यूटी x 10%
3	पंजीयन शुल्क	-	प्रतिफल राशि x 1%
4	CSI	-	300

\* सामान्य 6%, SC/ST/BPL महिला के अलावा महिला 5%, SC/ST/BPL महिला 4% और दिव्यांग 5%

8.1 यदि पट्टा विलेख 8 माह पश्चात पुनः नवीनीकरण कर पंजीयन हेतु प्रस्तुत होने पर-

क्र.सं.	ड्यूटी/शुल्क	ड्यूटी जिस पर देय है	दर
1.	स्टाम्प ड्यूटी (SD)	प्रिमियम की रकम+ ब्याज और शास्ति + अन्य प्रभार + 2 वर्ष के औसत किराये की रकम = प्रतिफल राशि	(प्रतिफल राशि + प्रतिफल राशि x 20%) x 6%*
2.	सरचार्ज (SC)	-	
2.1	आधारभूत अवसंरचना	-	स्टाम्प ड्यूटी x 10%
2.2	गौवंश	-	स्टाम्प ड्यूटी x 10%
2.3	प्राकृतिक एवं मानव निर्मित आपदाओं के निवारण	-	स्टाम्प ड्यूटी x 10%
3	पंजीयन शुल्क	-	(प्रतिफल राशि + प्रतिफल राशि x 20%) x 1%
4	CSI	-	300

\* सामान्य 6%, SC/ST/BPL महिला के अलावा महिला 5%, SC/ST/BPL महिला 4% और दिव्यांग 5%

### 9. स्थानीय निकाय द्वारा जारी फ्री होल्ड पट्टा विलेख -

क्र.सं.	ड्यूटी/शुल्क	दर	ड्यूटी जो देय है
1	स्टाम्प ड्यूटी (SD)	500/-	500/-
2	सरचार्ज (SC)		
2.1	आधारभूत अवसंरचना	स्टाम्प ड्यूटी x 10%	50/-
2.2	गौवंश	स्टाम्प ड्यूटी x 10%	50/-
2.3	प्राकृतिक एवं मानव निर्मित आपदाओं के निवारण	स्टाम्प ड्यूटी x 10%	50/-
3	पंजीयन शुल्क		300/-
4	CSI	200	200/-
5	योग		1150/-

10. स्थानीय निकाय द्वारा विक्रय पत्र, दान पत्र, वसीयत, उत्तराधिकारी एवं अन्य कोई संपत्ति हस्तांतरण के दस्तावेज जो पूर्व में पूर्णमुद्रांकित है, के आधार पर जारी नया पट्टा विलेख -

क्र.सं.	ड्यूटी/शुल्क	दर	ड्यूटी जो देय है
1	स्टाम्प ड्यूटी (SD)	500/-	500/-
2	सरचार्ज (SC)		
2.1	आधारभूत अवसंरचना	स्टाम्प ड्यूटी x 10%	50/-
2.2	गौवंश	स्टाम्प ड्यूटी x 10%	50/-
2.3	प्राकृतिक एवं मानव निर्मित आपदाओं के निवारण	स्टाम्प ड्यूटी x 10%	50/-
3	पंजीयन शुल्क		300/-
4	CSI	200	200/-
5	योग		1150/-

11. स्थानीय निकाय द्वारा उप विभाजन के उपरांत भूमि का नया पट्टा विलेख जारी करने पर –  
11.1 जहां उप विभाजन मूल पट्टाधारी के पक्ष में किया जा रहा है।

क्र.सं.	ड्यूटी/शुल्क	दर	ड्यूटी जो देय है
1	स्टाम्प ड्यूटी (SD)	500 / –	500 / –
2	सरचार्ज (SC)		
2.1	आधारभूत अवसंरचना	स्टाम्प ड्यूटी x 10%	50 / –
2.2	गौवंश	स्टाम्प ड्यूटी x 10%	50 / –
2.3	प्राकृतिक एवं मानव निर्मित आपदाओं के निवारण	स्टाम्प ड्यूटी x 10%	50 / –
3	पंजीयन शुल्क		300 / –
4	CSI	200	200 / –
5	योग		1150 / –

- 11.2 जहां मूल पट्टा एक से अधिक व्यक्तियों के पक्ष में हो और पंजीकृत दस्तावेज के आधार पर उप विभाजन के पश्चात् दोनों व्यक्तियों के पक्ष में अलग-अलग पट्टे जारी किये जाये।

(प्रत्येक पट्टे पर ड्यूटी अलग-अलग देय होगी)

क्र.सं.	ड्यूटी/शुल्क	दर	ड्यूटी जो देय है
1	स्टाम्प ड्यूटी (SD)	500 / –	500 / –
2	सरचार्ज (SC)		
2.1	आधारभूत अवसंरचना	स्टाम्प ड्यूटी x 10%	50 / –
2.2	गौवंश	स्टाम्प ड्यूटी x 10%	50 / –
2.3	प्राकृतिक एवं मानव निर्मित आपदाओं के निवारण	स्टाम्प ड्यूटी x 10%	50 / –
3	पंजीयन शुल्क		300 / –
4	CSI	200	200 / –
5	योग		1150 / –

- 11.3 मूल पट्टेदार की मृत्यु के फलस्वरूप उसके उत्तराधिकारियों के पक्ष में उप विभाजन के पश्चात् जारी पट्टा विलेख

(प्रत्येक पट्टे पर ड्यूटी अलग-अलग देय होगी)

क्र.सं.	ड्यूटी/शुल्क	दर	ड्यूटी जो देय है
1	स्टाम्प ड्यूटी (SD)	500 / –	500 / –
2	सरचार्ज (SC)		
2.1	आधारभूत अवसंरचना	स्टाम्प ड्यूटी x 10%	50 / –
2.2	गौवंश	स्टाम्प ड्यूटी x 10%	50 / –
2.3	प्राकृतिक एवं मानव निर्मित आपदाओं के निवारण	स्टाम्प ड्यूटी x 10%	50 / –
3	पंजीयन शुल्क		300 / –
4	CSI	200	200 / –
5	योग		1150 / –

12. एक से अधिक भू-खण्डों के पुर्नगठन पर जारी नये पट्टा विलेख

12.1 एक से अधिक भू-खण्डों का पुर्नगठन कर नया पट्टा विलेख मूल पट्टेधारी के नाम जारी होने पर।

क्र.सं.	ड्यूटी/शुल्क	दर	ड्यूटी जो देय है
1	स्टाम्प ड्यूटी (SD)	500 / -	500 / -
2	सरचार्ज (SC)		
2.1	आधारभूत अवसंरचना	स्टाम्प ड्यूटी x 10%	50 / -
2.2	गौवंश	स्टाम्प ड्यूटी x 10%	50 / -
2.3	प्राकृतिक एवं मानव निर्मित आपदाओं के निवारण	स्टाम्प ड्यूटी x 10%	50 / -
3	पंजीयन शुल्क		300 / -
4	CSI	200	200 / -
5	योग		1150 / -

12.2 अलग-अलग स्वामित्व के भूखण्डों का पुर्नगठन कर नया पट्टा समस्त स्वामियों के संयुक्त नाम से उसी अनुपात की हिस्सेदारी में जारी होता है।

क्र.सं.	ड्यूटी/शुल्क	दर	ड्यूटी जो देय है
1	स्टाम्प ड्यूटी (SD)	500 / -	500 / -
2	सरचार्ज (SC)		
2.1	आधारभूत अवसंरचना	स्टाम्प ड्यूटी x 10%	50 / -
2.2	गौवंश	स्टाम्प ड्यूटी x 10%	50 / -
2.3	प्राकृतिक एवं मानव निर्मित आपदाओं के निवारण	स्टाम्प ड्यूटी x 10%	50 / -
3	पंजीयन शुल्क		300 / -
4	CSI	200	200 / -
5	योग		1150 / -

13. भू-उपयोग परिवर्तन के पश्चात् जारी पट्टा विलेख।

क्र.सं.	ड्यूटी/शुल्क	दर	ड्यूटी जो देय है
1	स्टाम्प ड्यूटी (SD)	स्थानीय निकाय द्वारा भू-उपयोग परिवर्तन में लिया गया चार्ज = प्रतिफल राशि।	प्रतिफल राशि x 6%*
2	सरचार्ज (SC)		
2.1	आधारभूत अवसंरचना	-	स्टाम्प ड्यूटी x 10%
2.2	गौवंश	-	स्टाम्प ड्यूटी x 10%
2.3	प्राकृतिक एवं मानव निर्मित आपदाओं के निवारण	-	स्टाम्प ड्यूटी x 10%
3	पंजीयन शुल्क		300 / -
4	CSI	200	200 / -

\* सामान्य 6%, SC/ST/BPL महिला के अलावा महिला 5%, SC/ST/BPL महिला 4% और दिव्यांग 5%

14. मूल खातेदार/भू-स्वामी द्वारा सहमति पत्र (Assignment Deed) के द्वारा पट्टा प्राप्त करने के लिए अधिकृत करने वाले दस्तावेज पर देय ड्यूटी।

14.1 राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी, 2010 के अन्तर्गत अन्य व्यक्ति और विकासकर्ता द्वारा जारी अधिकृत दस्तावेज।

क्र.सं.	ड्यूटी/शुल्क	दर	ड्यूटी जो देय है
1	स्टाम्प ड्यूटी (SD)	500 / -	500 / -
2	सरचार्ज (SC)		
2.1	आधारभूत अवसंरचना	स्टाम्प ड्यूटी x 10%	50 / -
2.2	गौवंश	स्टाम्प ड्यूटी x 10%	50 / -
2.3	प्राकृतिक एवं मानव निर्मित आपदाओं के निवारण	स्टाम्प ड्यूटी x 10%	50 / -
3	पंजीयन शुल्क		300 / -
4	CSI	200	200 / -
5	योग		1150 / -

14.2 अन्य प्रकरणों में Assignment Deed का दस्तावेज पंजीयन हेतु प्रस्तुत होता है तो निम्न तालिका अनुसार ड्यूटी ली जायेगी। यदि Assignment deed अपंजीकृत और अमुद्रांकित मध्यवर्ती दस्तावेज के रूप में प्राप्त होता है, तो ड्यूटी तालिका संख्या- 14.2 (बाजार मूल्य x 20% पर कन्वेन्स की दर से) के अनुसार ली जायेगी।

क्र.सं.	ड्यूटी/शुल्क	ड्यूटी जिस पर देय है	दर
1.	स्टाम्प ड्यूटी (SD)	स्थानीय निकाय द्वारा Assignment Deed के आधार पर जारी पट्टा विलेख पर ली गई राशि = प्रतिफल राशि	प्रतिफल राशि x 2%
2.	सरचार्ज (SC)	-	
2.1	आधारभूत अवसंरचना	-	स्टाम्प ड्यूटी x 10%
2.2	गौवंश	-	स्टाम्प ड्यूटी x 10%
2.3	प्राकृतिक एवं मानव निर्मित आपदाओं के निवारण	-	स्टाम्प ड्यूटी x 10%
3	पंजीयन शुल्क	-	प्रतिफल राशि x 1%
4	CSI	-	300

**15. मध्यवर्ती दस्तावेज :-** यदि दस्तावेज के साथ पट्टा जारी होने से पूर्व अपंजीकृत/अमुद्रांकित दस्तावेज के आधार पर भूमि का हस्तांतरण किया गया है तो उन अपंजीकृत/अमुद्रांकित दस्तावेजों पर मुद्रांक शुल्क देय है, जिसकी गणना निम्नानुसार की जानी है:-

15.1 राज्य सरकार, स्थानीय प्राधिकारी, अन्य किसी सरकारी निकाय द्वारा आवंटित या विक्रित भूमि के संबंध में आवंटन आदेश के आधार पर पट्टा विलेख प्राप्त करने से पूर्व प्रत्येक निष्पादित मध्यवर्ती अरजिस्ट्रीकृत और अमुद्रांकित लिखत पर देय मुद्रांक शुल्क की गणना -

क्र.सं.	ड्यूटी/शुल्क	ड्यूटी जिस पर देय है	दर
1.	स्टाम्प ड्यूटी (SD)	मूल आवंटन की राशि x 1.5 गुणा = प्रतिफल राशि	प्रतिफल राशि x 6%*
2.	सरचार्ज (SC)	-	
2.1	आधारभूत अवसंरचना	-	स्टाम्प ड्यूटी x 10%
2.2	गौवंश	-	स्टाम्प ड्यूटी x 10%
2.3	प्राकृतिक एवं मानव निर्मित आपदाओं के निवारण	-	स्टाम्प ड्यूटी x 10%

\* सामान्य 6%, SC/ST/BPL महिला के अलावा महिला 5%, SC/ST/BPL महिला 4% और दिव्यांग 5%

नोट - संबंधित प्राधिकारी उस स्थावर सम्पत्ति के संबंध में निष्पादित अरजिस्ट्रीकृत/अमुद्रांकित लिखतों की संख्या का विवरण देते हुए प्रमाण पत्र जारी करेगा और पट्टा धारक उसके पट्टा विलेख के साथ ऐसे प्रमाण पत्र और अपंजीकृत और अमुद्रांकित लिखतों की प्रति प्रस्तुत करेगा। इन अपंजीकृत और अमुद्रांकित प्रत्येक दस्तावेज पर उपरोक्तानुसार गणना कर मुद्रांक शुल्क एवं सरचार्ज वसूल किया जायेगा।

15.2 नगरीय स्थानीय निकायों से पट्टा विलेख प्राप्त करने से पूर्व आवासीय सहकारी सोसायटियों एवं अन्य व्यक्तियों द्वारा आवंटित या विक्रित भूमि के संबंध में निष्पादित प्रत्येक मध्यवर्ती अपंजीकृत और अमुद्रांकित लिखत पर देय स्टाम्प ड्यूटी -

(निम्न छूट प्रशासन शहरों के संग अभियान, 2021 अवधि 02.10.2021 से 31.03.2022 तक प्रभावी है।)

क्र. सं.	ड्यूटी/शुल्क	ड्यूटी जिस पर देय है	दर
1.	स्टाम्प ड्यूटी (SD)	भूमि के बाजार मूल्य का 20% या एग्रीमेंट में दी गई प्रतिफल राशि का 20%, (जो भी अधिक हो) = प्रतिफल राशि	प्रतिफल राशि x 6%*
2.	सरचार्ज (SC)	-	
2.1	आधारभूत अवसंरचना	-	स्टाम्प ड्यूटी x 10%
2.2	गौवंश	-	स्टाम्प ड्यूटी x 10%
2.3	प्राकृतिक एवं मानव निर्मित आपदाओं के निवारण	-	स्टाम्प ड्यूटी x 10%

\* सामान्य 6%, SC/ST/BPL महिला के अलावा महिला 5%, SC/ST/BPL महिला 4% और दिव्यांग 5%

नोट – संबंधित प्राधिकारी उस स्थावर सम्पत्ति के संबंध में निष्पादित अरजिस्ट्रीकृत /अमुद्रांकित लिखितों की संख्या का विवरण देते हुए प्रमाण पत्र जारी करेगा और पट्टा धारक उसके पट्टा विलेख के साथ ऐसे प्रमाण पत्र और अपंजीकृत और अमुद्रांकित लिखितों की प्रति प्रस्तुत करेगा। इन अपंजीकृत और अमुद्रांकित प्रत्येक दस्तावेज पर उपरोक्तानुसार गणना कर मुद्रांक शुल्क एवं सरचार्ज वसूल किया जायेगा।